प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 04.09.2020 जनपद देवरिया

दिनांक 03.09.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरूद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

<u>*01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-*</u>

➡**थाना बनकटा** पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.प्रदीप कुमार चैधरी पुत्र स्व0 शिवजी सा0 पचबरवा थाना आन्दर सिवान बिहार** को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद सेन्ट्रो कार से 10 पेटी में कुल 450 शीशी बण्टी बबली देशी नाजायज शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡**थाना रुद्रपुर** पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.सूरज भारती पुत्र मुलई सा0 मोतीराम अड्डा थाना झंगहा गोरखपुर** को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡**थाना तरकुलवा** पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.ओमप्रकाश पुत्र स्व0 सुखी निषाद सा0 कोन्हवलिया थाना तरकुलवा, देवरिया** गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡**थाना गौरी बाजार** पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.कोमल पुत्र स्व0 रामबली सा0 बगहा थाना गौरीबाजार, देवरिया** को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया। क्रमशः 01 अभियुक्त **01.दिनेश प्रसाद पुत्र महादेव सा0 भरिया थाना गौरीबाजार, देवरिया** को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02. थाना लार पुलिस द्वारा 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गयाः-

दिनांक 03.09.2020 को थानाध्यक्ष लार के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र मे भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर डुमरी मथिया टोला से एक व्यक्ति को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.रविप्रताप सिंह उर्फ झूला सिंह पुत्र अरविन्द सिंह सा0 पिण्डी थाना लार, देवरिया बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद करते हुये पुलिस द्वारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

03. थाना खामपार पुलिस द्वारा एक टॉप- 10 अभियुक्त को गिरफ्तार –

आज दिनांक 03.09.2020 को प्रभारी थाना खामपार पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं देखभाल क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर भिंगारी तिराहा भौरे मोंड से थाना खामपार के टॉप- 10 अभियुक्त 01. दीपक गौड पुत्र जितेन्द्र सा0 दमनिया थाना भोरे गोपालगंचज बिहार को गिरफ्तार किया गया, उक्त गिरफ्तार अभियुक्त थाना खामपार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 23/2020 धारा-363,366,376डी,120बी,344,506भादवि व 5/6 पाक्सो ऐक्ट में वांछित अभियुक्त था। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

04. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 03.09.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 19 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

05. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 03.09.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 339 वाहनों से 187600 रूपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।